

## वमिक्त, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजातियाँ

### प्रीलमिस के लिये:

वमिक्त, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजाति, संबंधित आयोग और समितियाँ, वमिक्त समुदायों हेतु वकिास एवं कल्याण बोरड, खानाबदोश एवं अरद्ध-घुमंतू समुदाय (DWBDNC), DNTs से संबंधित योजनाएँ।

### मेन्स के लिये:

SC और ST से संबंधित मुददे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, भारत में वमिक्त, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजातियों की स्थिति।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद की स्थायी समिति ने [वमिक्त, खानाबदोश और अरद्ध-घुमंतू जनजातियों](#) के वकिास कार्यक्रम के कामकाज की आलोचना की है।

- स्थायी समिति ने कहा कि वमिक्त जनजाति (DNT) समुदायों के आरथक सशक्तीकरण की योजना में वर्ष 2021-22 से पाँच वर्षों की अवधि के लिये कुल 200 करोड़ रुपए का परिवय है और वर्ष 2021-22 में अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया है।

## DENOTIFIED TRIBES - MEANING

• DE notified Tribes (DNTs), also known as *Vimukta Jati*, are the tribes that were originally listed as "Criminal Tribes" and "addicted to the systematic commission of non-bailable offences."

• Once a tribe became "notified" as criminal, all its members were required to register with the local magistrate, failing which they would be charged with a "crime" under the Indian Penal Code.



## वमिक्त, खानाबदोश और अरद्ध-घुमंतू जनजाति:

- ये ऐसे समुदाय हैं जो सबसे सुभेद्य और वंचाति हैं।
- वमिक्त ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक शृंखला के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया गया था।
- इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में नरिस्त कर दिया गया था और इन समुदायों को 'वमिक्त' कर दिया गया था।
- इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें वमिक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे भी खानाबदोश थे।
- खानाबदोश और अरद्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में परभिषति किया जाता है, जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
- ऐतिहासिक रूप से घुमंतू जनजातियों और गैर-अधिसूचित जनजातियों की कभी भी नजी भूमिया घर के स्वामित्व तक पहुँच नहीं थी।

- जबकि अधिकांश वमिक्त समुदाय, **अनुसूचित जाति (SC)**, **अनुसूचित जनजाति (ST)** और **अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC)** श्रेणियों में वतिरति हैं, वही कुछ वमिक्त समुदाय SC, ST या OBC श्रेणियों में से कसी में भी शामल नहीं हैं।
- आजादी के बाद से गठति कई आयोगों और समतियों ने इन समुदायों की समस्याओं का उल्लेख किया है।
  - इनमें संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में गठति आपाधकि जनजाति जाँच समिति, 1947 भी शामल है।
  - वर्ष 1949 की अनंतशयनम आयंगर समिति (इसी समिति की रपिरट के आधार पर आपाधकि जनजाति अधनियम को नरिस्त किया गया था।
  - काका कालेलकर आयोग (जस्ते पहला ओबीसी आयोग भी कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में किया गया था।
  - वर्ष 1980 में गठति बीपी मंडल आयोग ने भी इस मुददे पर कुछ सफिराई की थी।
  - संवधिन के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने भी माना था कि वमिक्त समुदायों को अपराध प्रवण के रूप में गलत तरीके से कलंकति किया गया है और कानून-व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा शोषण के अधीन किया गया है।
    - NCRWC की स्थापना न्यायमूरतिएम.एन. वैक्टचलैया की अध्यक्षता में हुई थी।
- एक अनुमान के अनुसार, दक्षिण एशिया में वैश्व को सबसे बड़ी यायावर/खानाबदोश आबादी (Nomadic Population) नवास करती है।
  - भारत में लगभग 10% आबादी वमिक्त और खानाबदोश है।
  - जबकि वमिक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, खानाबदोश जनजातियों की जनसंख्या में लगभग 500 वभिन्न समुदाय शामल हैं।

## DNT के संबंध में वकिसात्मक प्रयास:

- पृष्ठभूमि:** वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजातियों (De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes- NCDNT) के लिये एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था।
  - इसकी अध्यक्षता बालकृष्ण सदिराम रेनके (Balkrishna Sidiram Renke) ने की और वर्ष 2008 में अपनी रपिरट प्रस्तुत की।
  - आयोग ने कहा कि "यह वडिंबना है किये जनजातियों कसी तरह हमारे संवधिन नरिमाताओं के ध्यान से चंचति रही है।
  - वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिप्रेक्षण संवैधानिकअधिकारों से चंचति हैं।
  - रेनके आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर उनकी आबादी लगभग 10.74 करोड़ होने का अनुमान लगाया था।
- DNT के लिये योजनाएँ:** सामाजिक न्याय और अधिकारति मंत्रालय द्वारा DNT के कल्याण के लिये नमिनलखित योजनाओं को लागू किया जा रहा है।
  - DNT के लिये डॉ. अंबेडकर परी-मैट्रकि और पोस्ट-मैट्रकि छात्रवृत्तता:
    - यह केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में वमिक्त, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिया अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
  - DNT बालकों और बालकियों हेतु छात्रावासों के नरिमाण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:**
    - वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य सरकारों/केंद्रशासति प्रदेशों/केंद्रीय वैश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
  - वर्ष 2017-18 से "ओबीसी के कल्याण के लिये काम कर रहे स्वैच्छकि संगठन को सहायता" योजना का वसितार DNT के लिये किया गया।

## गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू जनजातियों (DWBDNC) के लिये वकिस और कल्याण बोर्ड:

- राज्यवार सूची तैयार करने के लिये फरवरी 2014 में एक नए आयोग का गठन किया गया, जसिने वर्ष 2018 में अपनी रपिरट प्रस्तुत की, इस रपिरट के अनुसार 1,262 समुदायों को गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू के रूप में पहचाना गया।
- सरकार ने गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अरद्ध-घुमंतू समुदायों (DWBDNC) के लिये वकिस व कल्याण बोर्ड की स्थापना की।
- कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारति मंत्रालय के तत्त्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधनियम, 1860 के तहत DWBDNC की स्थापना की गई थी।
  - DWBDNC का गठन 21 फरवरी, 2019 को भीकू रामजी इदते की अध्यक्षता में किया गया था।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस